केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मनिरका
नई दिल्ली – 110067

संचिका सं.CICOM/R/2018/90003 **दिनांक 24.01.2018**

सेवा में,

श्री अभय कुमार,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 24.01.2018 का ऑनलॉन आर.टी.आई. आवेदन जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आपके आवेदन के पृष्ठ एक के बिंदु सं. 4 एवं 5 तथा पृष्ठ दो के बिंदु सं. 3 से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया है, का अवलोकन करें । आपके आर.टी.आई. आवेदन के उक्त बिंदुओं से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:-

पृष्ठ एक का बिंदु सं. 4 एवं 5	वांछित सूचना केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-सचिव (जी.ए.) द्वारा प्रदान की जाएगी जिन्हें आपका आवेदन आर.टी.आई. – एम.आई.एस. द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित कर दिया गया है ।
पृष्ठ दो का बिंदु सं. 3	सूचना अधिकार अधिनिय, 2005 के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन या आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार ही दोषी अधिकारी को दंडित किया जाता है । सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दोषी अधिकारियों को दंडित करने का कोई अन्य नियम उपलब्ध नहीं है । विशेष जानकारी हेतु सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 जो आयोग की वेबसाईट के लिंक http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf पर उपलब्ध है का अवलोकन कर सकते हैं ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 पर की जा सकती है ।

(एक सिग्नेचर)

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल

1	श्री एस. के. रब्बानी, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-सचिव (जी.ए.), के. सू. आ.	पृष्ठ एक का बिंदु सं. 4 एवं 5	उक्त आवेदन दिनांक 24.01.2018 को आर.टी.आई.-एम.आई.एस. के द्वारा ऑलाइन अग्रसारित किया जा चुका है । कृपया वांछित सूचना निर्धारित अवधि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि वांछित सूचना आपसे संबंधित नहीं है तो कृपया संबंधित अधिकारी को अग्रसारित करें ।